


05/02/2025
पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक कार्य न
कर अदालती कार्य का स्थान कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 04/04/25 को पेश हो।

04/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अनुपस्थित। प्रकरण में
सुनवाई हेतु बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद
बार-बार आवाज लगवाने वकुलाय उभयपक्ष अथवा
पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया है।
अतः कार्यवाही प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना